बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 420846 पटना, दिनांक 16-04-2019

ग्रा0वि07(विविध)- 25/2018

प्रेषक,

सी0 पी0 खंडूजा,
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार, पटना ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत सड़कों का निर्माण सरकारी नक्शा-मानचित्र के अनुसार क्रियान्वित किये जाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मनरेगा मार्ग-दर्शिका (चतुर्थ संस्करण), 2013 के अध्याय-07 की कंडिका-7.1.3 की उप कंडिका (VIII) के अनुसार **"ग्रामों के भीतर जहॉ भी आवश्यक हो, पुलियों और सड़कों की व्यवस्था सहित बारहमासी सड़क सम्पर्कता मुहैया कराने के लिए ग्रामीण सड़क सम्पर्कता"** का प्रावधान अंकित है ।

इस क्रम में कतिपय श्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि मनरेगा अंतर्गत कच्ची एवं पक्की सड़कों का निर्माण सरकारी नक्शा-मानचित्र के अनुसार क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है तथा सरकारी सडक रहने के बावजूद निजी भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है । उपर्युक्त के क्रम में निर्देश दिया जाता है कि -

1. मनरेगा मार्ग-दर्शिका के आलोक में सड़क सम्पर्कता हेतु ली जानेवाली योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी नक्शा-मानचित्र के अनुसार सरकारी सडक हेतु उपलब्ध भूमि पर किया जाए ।
2. सरकारी भूमि के अनुपलब्धता की स्थिति में निजी भूमि पर मनरेगा अंतर्गत ली जाने वाली किसी भी प्रकार के योजना के क्रियान्वयन के पूर्व उक्त निजी भूमि को राज्यपाल के नाम से निबंधित (Registry) कराना आवश्यक है ।

विश्वासभाजन

11.04.19.

(सी0 पी0 खंडूजा)
आयुक्त मनरेगा